कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक 4036 /नीलामी/खुली बोली/2019–20 दिनांक 19-2-20

अल्पकालीन निविदा/नीलामी/खुली बोली सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय पशु चिकित्सालय जानसठ, मुजफ्फरनगर के परिसर में जर्जर भवन की नीलामी/खुली बोली जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा गठित समिति के द्वारा दिनॉक 28–02–2020 को विकास भवन सभागार मे नीलामी/खुली बोली/निविदा के माध्यम से की जायेगी।

नीलामी/खुली बोली/निविदा की शर्ते निम्न प्रकार है :–

1– निविदा का विक्रय दिनॉक 22–02–2020 से 03–03–2020 को अपरान्ह 12.00 बजे तक विकास भवन मुजफ्फरनगर स्थित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में 500–00 रूपये का बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद धनराशि देकर प्राप्त किया जा सकता है। फार्म एन0आई0सी0 की बेवसाइट https//muzaffarnagar.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसके साथ 500–00 रूपये का बैंक ड्राफ्ट मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर के पक्ष में जिसका भुगतान मुजफ्फरनगर में देय संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2– दिनॉक 03–03–2020 तक निविदा शील्ड बन्द लिफाफे में सॉय 5.00 बजे तक कार्यालय में सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में सील बन्द बाक्स में जमा करें तथा निविदा दिनॉक 04–03–2020 को 3.00 बजे अपरान्ह में निविदा दाताओ की उपस्थिति में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर महोदय द्वारा गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी।

3– निविदा खोलने से पूर्व दिनॉक 04–03–2020 को अपरान्ह 1.00 बजे से 2.30 बजे तक खुली बोली करायी जायेगी। बोली की न्यूनतम धनराशि 2,87,000–00 से आरम्भ होगी। सभी देय कर अलग से बोली दाता को जमा करने होगे। बोली समाप्त होने के पश्चात निविदा खोली जायेगी। खुली बोली/निविदा में से जिसकी धनराशि अधिकतम/उचित होगी उस पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा। निविदा डालने वाला व्यक्ति ही केवल खुली बोली में भाग ले सकता है, इसलिए निविदा दाताओ का उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। यदि निविदा दाता अनुपस्थित रहता है, तब भी निविदा अपने निर्धारित समय पर खोली जायेगी।

4– निविदा जमा करते समय धरोहर धनराशि केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में रूपये 25000–00 (रूपये पच्चीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के पक्ष मे तथा मुजफ्फरनगर में देय अलग से जमा करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा। प्रथम उच्चतम बोली दाता/निविदा दाता तथा द्वितीय बोलीदाता/निविदा दाता की धरोहर धनराशि को छोड़कर शेष धरोहर धनराशि टैण्डर की कार्यवाही पूर्ण होने उपरान्त वापस कर दी जायेगी।

5– अन्य समस्त शर्तो का विवरण मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर के विकास भवन कार्यालय से निविदा के साथ प्राप्त होगा। इस खुली बोली/नीलामी/निविदा के बारे में पूर्ण विवरण एवं जानकारी किसी भी कार्य दिवस में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर के विकास भवन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। अन्य शर्तो की जानकारी करने का उत्तरदायित्व बोली दाता/निविदा जमा कर्ता का स्वयं का होगा। यह कथन अस्वीकार होगा कि उसको अन्य शर्तो की जानकारी नही हुई।

6– नीलामी/खुली बोली के समय निविदा स्थल पर शस्त्र/आग्नेय शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री लाना वर्जित होगा।

7– जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर महोदया द्वारा गठित समिति द्वारा उच्चतम बोली की संस्तुति के उपरान्त निविदा दाता को उच्चतम बोली की पूर्ण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद धनराशि जमा करनी होगी। धनराशि जमा न करने की स्थिति में अथवा यदि कोई निविदा दाता अपनी दी गयी आफर/बोली से मुकरता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर की धनराशि राजकोष हित में जब्त कर ली जायेगी।

8– ठेकेदार द्वारा जर्जर भवनों का मलबा निकालने हेतु ध्वस्तीकरण के दौरान यदि कोई शासकीय अथवा निजी क्षति पहुॅचायी जाती है तो उस क्षति की वसूली ठेकेदार से की जायेगी।

9–जर्जर भवनो का मलबा आदेश मिलने के 15 दिन के अन्दर ठेकेदार को उठाना होगा। यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर मलबा नही उठाया जाता है तो नीलामी/खुली बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा जमा धनराशि शासकीय हित में जब्त कर ली जायेगी।

10– जर्जर भवन जिस दशा मे है उसी अनुसार ठेकेदार की जर्जर भवन ध्वस्तीकरण कर कार्यवाही की जायेगी।

11– जर्जर भवन का मलबा निकालते समय ठेकेदार पूर्ण रूप से शान्ति व्यवस्था बनाये रखेंगे।

12– ठेकेदार को जर्जर भवन निकालने हेतु ध्वस्तीकरण के दौरान एरिया की बिजली लाईन, टेलीफोन लाईन, निकटतम सम्पत्ति आदि को क्षति न हो, इसके लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। ध्वस्तीकरण के दौरान किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को यदि कोई क्षति होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता/ठेकेदार का होगा। विभाग किसी भी स्थिति में जिम्मेदार नही होगा।

13– जर्जर भवन के मलबे हेतु वांछित कोई भी स्वीकृति संबंधित विभाग से क्रेता को लेनी होगी।

14– समिति की संस्तुति उपरान्त भवनो के ध्वस्तीकरण/ढुलान की अनुमति सक्षम स्तर से जारी की जायेगी।

15– उच्च अधिकारियों द्वारा उच्चतम आफर दाता से नीलामी/खुली बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति राजकीय पशु चिकित्सालय जानसठ, मुजफ्फरनगर पर प्रात 9.30 बजे से 3.30 बजे तक नीलामी के लिए निर्धारित भवनों का भली भॉति निरीक्षण कर सकते है/कर लिया जाना चाहिए। बाद में कोई आपत्ति स्वीकार्य नही होगी।

16– नीलामी/खुली बोली हेतु अन्य समस्त शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर के विकास भवन स्थित कार्यालय से की जा सकती है।

CVO

17– नीलामी/खुली बोली/निविदा समिति को बिना कारण बताये नीलामी/खुली बोली/निविदा निरस्त करने अथवा निर्धारित दिनॉक परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

18– निविदा दाता/खुली बोली दाता को सक्षम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। बोली दाता/निविदा दाता को निविदा के साथ पंजीकरण, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड,आधार कार्ड, जिलाधिकारी महोदय द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र आदि आवश्यक प्रपत्र फार्म कय करते समय जमा करने अनिवार्य होगे।

19– सम्पत्ति का भू स्वामित्व विभाग का ही रहेगा, नीलामी केवल जर्जर भवन की ही होगी।

20– निविदा/खुली बोली/नीलामी का समस्त कार्य विकास भवन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर स्थिति सभागार में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर महोदया द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न किया जायेगा।

19/2/20

(डा0 दिनेश कुमार)
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
मुजफ्फरनगर।

पत्रांक एवं दिनॉक उक्तांकित

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर महोदया की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
2– मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
3– उप जिलाधिकारी, जानसठ,मुजफ्फरनगर महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
4– निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5– अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
7– सहायक अभियन्ता प्रथम, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर
8– खण्ड विकास अधिकारी, जानसठ।
9– उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जानसठ,मुजफ्फरनगर।
10– सहायक लेखाकार, मुख्यालय, मुजफ्फरनगर।
11– समस्त संबंधित को सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
मुजफ्फरनगर।